सहरिया एवं कथौडी जनजाति के परिवारों हेतु विशेष रोजगार योजना

की
संशोधित
मार्ग दर्शिका
15.12.2004 की लागू

ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार

विषय सूची

क्र0स0	विषय वस्तु	पृष्ट
1	प्रस्तावना	1
2	विस्तृत रूपरेखा एवं उददेश्य	2–3
3	संसाधनो के मानदंड आवंटन तथा उपयोग	4
4	आयोजना कार्यो की प्राथमिकता एवं निष्पादन	5–6
5	रिपोर्ट एव विवरणियां	7
6	परिशिष्ठ – 1	8–9
7	परिशिष्ठ – 2	10
8	परिशिष्ठ – 3	11
9	परिशिष्ठ – 4	12
10	परिशिष्ठ – 5	13
11	परिशिष्ठ – 6	14
12	परिशिष्ठ – 7	15

प्रस्तावना

राज्य के वर्ष 2004–05 के परिवर्तित बजट मे बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों मे निवास कर रहे आदिम जनजाति सहरियाके परिवारों तथा उदयपुर जिले की कोटडा एवं झाडोल पंचायत समिति में निवास कर रहे काथोडी जनजाति के परिवारों के आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछडेपन की स्थिति को देखते हुए उनके विकास के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाये जाने की घोषणा की गई है। इस घोषण की गई है इस घोषणा के अंतर्गत सहरिया एवं काथोडी जनजाति के प्रत्येक परिवार के लिए वर्ष में कम से कम 100 दिवस का मजदूरी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए वर्ष 2004–05 के लिए राज्य राज्य बजट मे निधियों का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग इन जनजाति के परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास हेतु आर्थिक आधारभूत अवसरंचना तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हेतु किया जायेगा जिससे इस क्षेत्र के इन परिवारो की आर्थिक स्थिति मे सुधार आ सके इन परिवारों की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह भी प्रयास किया जायेगा कि मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित कराया जावे तथा उस खाद्यान्न को सस्ती दर पर (बीपदल दर पर) मजदूरी के आंशिक भुगतान के बतौर उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के लिए आंवटित संसाधनो का उपयोग उसी दशा मे किया जायेगा जबकि इन जनजाति के परिवारों को प्रति परिवार वर्ष मे कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उस क्षेत्र मे क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं एवं राजकीय निधियों से क्रियान्वित कार्यो पर उपलब्ध नही हो सकें। यह विशेष रोजगार योजना इन जनजातियों के प्रत्येक परिवार को वर्ष मे कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरक व्यवस्था की योजना है, जिसे अन्य योजनाओं के पूरक के रूप मे निर्धारित 100 दिवस से कम मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की दशा मे ही उपयोग मे लिया जायेगा।

इस योजना की क्रियान्वित से यह अपेक्षा की जाती है कि सहरिया एवं कथोडी जनजाति के परिवारों को अच्छा आर्थिक संबल मिलेगा जिससे कालांतर मे ये परिवार अपनी उद्यमता का विकास कर स्वरोजगार की ओर अग्रेषित होगें तथा आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछडेपन से मुक्ति पा सकेगें।

अध्याय :— 1

विस्तृत रूपरेखा एवं उददेश्य

1 उददेश्य

1.1 सहरिया एवं कथौडी जनजाति के परिवारों हेतु विशेष रोजगार येाजना के निम्नलिखित उददेश्य होगें।

(क) **मूल उददेश्य**

बारां जिले की सहरिया जनजाति एवं उदयपुर जिले की कथौडी जनजाति के परिवारों को वर्ष मे प्रति परिवार कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

(ख) **गौण उददेश्य**

इन क्षेत्रों मे सतत रोजगार एवं विकास हेतु आधारभूत सरचंना एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

1.2 कार्य क्षेत्र

इस येाजना का कार्य क्षेत्र बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों मे निवास कर रहे सहरिया जनजाति के परिवार एवं उदयपुर जिले की झाडोल एवं कोटडा पंचायत समितियों मे निवास कर रहे कथोडी जनजाति के परिवार होगें।

1.3 लक्षित समूह

यह योजना बारां एवं उदयपुर जिले के सहरिया एवं कथौडी जनजाति के परिवारों के लिए ही लक्षित हैं जिसमे अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा प्रति परिवार वर्ष मे 100 दिवस का रोजगार इन जनजातियों के उन व्यक्तियों को दिया जा सकेगा जो 18 वर्ष से ज्यादा एवं 60 वर्ष से कम उम्र के होगें तथा निवास वाली पंचायत समिति क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार करने के इच्छुक होगें।

1.4 योजना की कार्यनीती

1.4.1 प्रत्येक परिवार का परिशिष्ठ —1 के प्रारूप के विशिष्ठ प्रकार का पहचान पत्र एवं रोजगार कार्ड जारी किया जायेगा जिसमें परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के नाम सहित फोटोग्राफ लगाये जायेगें । प्रतिमाह परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले मजदूरी रोजगार का विवरण अंकित के लिए कार्ड मे व्यवस्था की जायेगी। जब कभी भी जनजातियों के परिवार को

विभिन्न योजनान्तर्गत एवं इस योजनान्तर्गत मजदूरी रोजगार उपलब्ध होगा तब ही कार्ड मे उसका इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा।

1.4.2 इस योजना के संसाधनों को पूरक मानते हुए , उपयोग मे लिया जायेगा

1.4.3 इन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों मे प्रत्येक परिवार का विवरण एक रजिस्टर मे संधारित किया जायेगा। प्रति परिवार उपलब्ध कराये गये रोजगार की सूचना संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दी जायेगीउक्त आधार पर ही विकास अधिकारी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बनाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को प्रेषित करेगें जिनके द्वारा कार्य स्वीकृति करने के बारे मे अंग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

1.4.4 संसाधनो की उपलब्धता को देखते हुए 100 दिवस से अधिक दिनों का भी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना यदि संभव होगा तो उसके लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

1.5 योजनान्तर्गत मजूदरी की दर :–

1.5.1 इस योजनान्तर्गत अकुशल मजदूरो के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजूदरी की दर से क्रियान्वित कार्य परिमाण को ध्यान मे रखते हुए भुगतान दिया जायेगा। मजदूरी का आंशिक भुगतान खाद्यान्न के रूप मे भी किया जा सकेगा।

1.5.2 योजना के अंतर्गत पुरूष एवं महिला दोनों को समान मजदूरी दर से भुगतान किया जायेगा तथा मजदूरी का भुगतान पाक्षिक अंतराल पर किया जा सकेगा।

अध्याय–2

संसाधनों के मानदंड आवंटन तथा उपयोग

2.1 योजना के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बारां एवं उदयपुर जिले मे इन जनजातियों के परिवारों की संख्या को आधार रखते हुए जिला परिषद को किया जायेगा। जिला परिषद उन्हे प्राप्त संसाधनो को संबंधित ग्राम पंचायतों को कार्यो की स्वीकृति एवं निष्पादन हेतु आवश्कता के अनुरूप ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 के प्रावधानो के अनुसार उपलब्ध करायेगैं कार्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों मे इस योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं निष्पादन कराये जाने वाले कार्यो का कार्यवार पूर्ण विवरण रखते हुए मॉनीटरिंग जिला परिषद द्वारा की जावेगी।

2.2 उपलब्ध कराये गये संसाधनों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग करने पर द्वितीय किश्त के प्रस्ताव संबंधित जिला परिषद को निर्मुक्त किये जायेगें।

2.3 वर्ष के अंत उपयोग किये गये संसाधनो के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ साथ सी0ए0 द्वारा अंकेक्षित लेखे संबंधित जिला परिषद द्वारा आगामी वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करने होगें उसके पश्चात ही प्रथम के संसाधन निर्मुक्त किये जायेगे।

2.4 ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 मे वर्णित प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा।

2.5 योजना के प्रारम्भ मे लक्षित परिवारों को पहचान पत्र एवं रोजागर कार्ड जारी करने का व्यय भी योजना के लिए उपलब्ध संसाधनो मे से किया जा सकेगा अन्य किसी भी प्रकार व्यय येाजना के संसाधनो से वहन करने से पूर्व सरकार से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

2.6 इस योजनान्तर्गत कार्यो का निष्पादन का मस्ट्रोल पर मजदूर नियोजित करके ही किया जायेगा। किसी भी कार्य का क्रियान्वयन एवं निष्पादन ठेके पर कराने पर पूर्ण निषेध होगा जिला परिषद द्वारा लेखों मे समायोजन कर उसके आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को परिशिष्ठ –2 के प्रपत्र मे सी0ए0 द्वारा अंकेक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

2.7 इस योजना हेतु जिला परिषदों को जारी राशि को पृथक बैकं बचत खाते मे रखा जावेगा। किसी भी स्थिति मे इस योजना की राशि को अन्य कार्यो या अन्य येाजनाओं मे उपयोग नही किया जावेगा।

अध्याय–3

आयोजन कार्यो की प्राथमिकता एवं निष्पादन

3.1 योजना की कार्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों मे निवास कर रहे लक्षित परिवारों की संख्या आधार बनाते हुए उन्हे दौरान कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधनो का आंकलन जिला परिषद द्वारा किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को इस आंकलित संसाधनो की मात्रा के लिए कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर हेतु सूचित किया जायेगा।

3.2 ग्राम पचांयतों को सूचित किये गये संसाधनो की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए ग्राम पंचायत पैरा 3.3 मे वर्णित प्राथमिकताओं कोध्यान मे रखते हुए क्षेत्र आवश्कता परिपेक्ष मे ऐसे कार्यो के प्रस्ताव तैयार करेगें जो सामान्यतः उसी वर्ष मे पूर्ण हो सकते एवं श्रम प्रधान हो

3.3 इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

3.3.1 लघु सिंचाई के तालाब जोहड इत्यादि के मिटटी निकालने / पुन निर्माण कार्य

3.3.2 भू– संरक्षण जल संरक्षण के लिए एनीकट वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर चैक डे इत्यादि के निर्माण कार्य।

3.3.3 वृक्षारोपण कृषि बागवानी चारागाह विकास इत्यादि के जलग्रहण क्षेत्र विकास संबंधी कार्य

3.3.4 भवन रहित प्राथमिकता शालाओं के भवन आंगनबाडी केन्द्र भवन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मिड–डे–मील योजना हेतु किचन शेड दुग्ध संकलन केन्द्र कार्यशाला भवन जो सामुदायिक उपयोग के लिए आवश्यक हों।

3.4 उपरोक्त वर्णित प्रकार के वे अपूर्ण कार्य जिन्हे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संपादित कराया गया है को भी पूर्ण करने के लिए इस योजनान्तर्गत लिया जा सकेगा।

3.5 इस योजनान्तर्गत वे सभी कार्य निषेधित होगें जिन्हे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार येाजनान्तर्गत अनुमत नही किया हुआ परतु प्राथमिकता के कार्यो के अतिरिक्त कार्य ग्रामीण विकास विभाग अनुमत कर सकेगा।

3.6 सामान्यत इस योजना कें संसाधनो के कार्यो की स्वीकृति नवम्बर माह के बाद ही की जानी चाहिए उससे पहले क्षेत्र मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संपादित कार्यो पर लक्षित परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए यदि लक्षित परिवारो की प्रति प्रति परिवार 100 दिन मजदूरी रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति नही बनती हो तब ही इस योजना के संसाधनों का उपयोग कार्यो के निष्पादन पर करते हुए लक्षित परिवारों को निर्धारित 100 दिवसों के मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.7 ग्राम पंचायतों द्वारा उनके लिए जिला परिषद से सूचित आवश्यक संसाधनों की मात्रा को देखते हुए उपयोक्तानुसार कार्यो का निर्धारण कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा ऐसे अनुमोदित कार्यो को विकास अधिकारी पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को प्रेषित किया जायेगा इस प्रक्रिया विधि के द्वारा योजनान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्यो के प्रस्तावों की जिला परिषद द्वारा मार्ग दर्शिका के परिपेक्ष मे जांच करने के पश्चात वर्ष के संपादित कराये जाने कार्यो की सूची एक सैल्फ आफ प्रोजेक्ट के रूप मे तैयार की जावेगी तथा आवश्यकता होने पर उसी सैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट मे से संबंधित ग्राम पंचायत मे आवश्यकता अनुसार जिला परिषद द्वारा कार्य स्वीकृत किये जा सकेगें। सैल्फ आफ प्रोजेक्ट के अतिरिक्त यदि किन्ही राजकीय विभाग द्वारा अन्य कार्य प्रस्तावित किये जाते है तो उन कार्यो का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा सकता है।

3.8 प्रत्येक ग्राम पंचायत मे इस योजनान्तर्गत मजदूरी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को परिशिष्ठ –3 सूचना प्रस्तुत करनी होगी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होने पर भली प्रकार से परीक्षण करने के पश्चात यदि ग्राम पंचायत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संपादित होने वाले कार्यो पर लक्षित परिवारों को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नही होने की स्थिति अंकलित करे तो उस दशा मे इस योजनान्तर्गत कार्यो स्वीकृति करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विकास अधिकारी पंचायत समिति ग्राम पंचायतों से ऐसी रिपोर्टो पर सप्ताह मे आवश्यकता का आंकलन करते हुए जिला परिषद को अभिशंषा प्रेषित करेगा जिस पर अभिशंषा पाप्ति के एक सप्ताह द्वारा निर्णय लिया जाकर कार्यवाही से सूचना तत्काल विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को दी जावेगी जो संबंधित मजदूरी रोजगार हेतु किये गये आवेदक को सूचित कर कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से उन्हें मजदूरी उपलब्ध करायेगें।

3.9 इस योजनान्तर्गत संपादित होने वाले कार्यो की प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 मे उल्लेखित अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

3.10 इस योजना की सफल क्रियान्वित का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का होगा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति अपने क्षेत्र मे योजना के समन्वयक के रूप मे कार्य करेगा। योजना के लिए ग्राम पंचायत मॉडल ऐजेन्सी के रूप मे कार्य करेगी, जिसके लिए ग्रुप सचिव, ग्राम पचांयत सभी कार्यवाहियां एवं प्रक्रियाओं के पालन के लिए उत्तर दायी होगा।

3.11 किसी कार्य के लिए राजकीय विभाग या अन्य संस्था को कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जाकर तदनुदार स्वीकृति जारी की जा सकती है।

अध्याय –4

रिपोर्ट एवं विवरणियां

4.1 परिशिष्ठ –4 प्रपत्र मे कार्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों मे लक्षित परिवारों के प्रत्येक परि का विवरण संधारित किया जायेगा।

4.2 इस योजना के कार्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक माह परिशिष्ठ–5 मे मासिक प्रगति रिपोर्ट अगले माह की तीन तारीख तक विकास अधिकारी पंचायत समिति ग्राम पचायतों से प्राप्त रिपोर्टो संलग्न करते हुए संकलित रिपोर्ट 5 तारीख तक परिशिष्ट–6 मे जिला परिषद को प्रेषित करेगें । जिला परिषद जिले की संकलित रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार माह की 10 तारीख तक परिशिष्ठ –7 के प्रपत्र मे प्रपत्र करेगे।

विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत पृजीकृत मजदूरी के लिए पहचान पत्र एवं रोजगार कार्ड

1 नाम – – – – – – – – – – – – – – पंजीकरण संख्या

2 पिता / पति का नाम

3 पता

4 लिंग

5 पंजीकरण के समय आयु

6 पंजीकरण की तारीख

7 परिवार के सदस्यो का ब्यौरा

क0सं0	नाम	लिंग	आयु
1			
2			
3			
4			
5			
6			

फोटो ग्राफ

रोजगार चाहने वाले के हस्ताक्षर /
अंगूठे का निशान

पजीकरण करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत पृजीकृत मजदूरी के लिए पहचान पत्र एवं रोजगार कार्ड

क्र0सं0	परिवार के सदस्य का नाम	विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये रोजगारी का ब्यौरा			
		विशष रोजगार योजना		अन्य रोजगार योजना	हस्ताक्षर ग्रुप सचिव
		माह	दिवसों की संख्या	दिवसों की संख्या	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	योग				

उक्त कार्ड दो प्रतियों मे तैयार किया जाकर एक प्रति पंजीकृत व्यक्ति को एवं ग्राम पंचायत के पास रिकार्ड मे रखी

विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत दूयरी तथा उसके बाद की किश्त के रिलीज के लिये प्रस्ताव (सहरिया एवं काथोडी)

1 जिला परिषद का नाम

2 विशेष रोजगार योजना का द्वारा कंवर किये गये खण्डो की संख्या

3 क्या रिलीज के लिये आवेदन करते समय उस वर्ष से पहले के वर्ष की ऑडिट प्राप्त हो गई है प्रतिलिपि संलग्न करें।

4 विशेष रोजगा योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान इस आवेदन की तारीख तक जिले द्वारा प्राप्त उपलब्ध संसाधन

क. रोकड निधियां
ख. खाद्यान्नो का मूल्य
ग. योग

5 वर्ष के दौरान आवेदन की तारीख तक विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय

क. रोकड निधियां
ख. खाद्यान्नो का मूल्य
ग. योग

6 उपलब्ध संसाधनों की तुलना मे व्यय का प्रतिशत व्यय राशि 100
उपलब्ध संसाधन

नोट उपलब्ध संसाधनो का 60 प्रतिशत उपयोग होने पर ही द्वितीय किश्त देय होगी।

विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत रोजगार चाहने के लिये पत्र

सेवा में,

सचिव / सरपंच
– – – – – पंचायत

महोदय,

आपसे निवेदन है कि मै / मेरा परिवार बारां / उयदपुर के सहरिया / काथोडी / जाति का हूॅ / है एवं मुझे रोजगार की अति आवश्कता है अतः आप मुझे विशेष योजनान्तर्गत रोजगार दिलाये जाने की कृपा करें । इस वर्ष मे अब तक मेरे परिवार को मात्र – – – – दिवस का ही रोजगार यउपलब्ध हो पाया है।

1 नाम

2 लिंग

3 आयु

4 पता

5 व्यवसाय

6 पंजीकरण संख्या

भवदीय

स्थान
दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर / अगूठे का निशान

(विशेष बार रोजगार प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करना होगे)

परिशिष्ठ –4

विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत रोजगार चाहने के वाले परिवार का विवरण रजिस्टर

क्र0सं0	परिवार एवं मुखिया का नाम व पता	जाति	ग्राम पंचायत	18 से 60 वर्ष के			पंजीकरण की तिथि एवं पंजीकरण संख्या	हस्ताक्षर कार्ड प्राप्तकर्ता
				पुरूषों की संख्या	महिलाओं की संख्या	परिवार के सदस्यों की संख्या		

परिशिष्ठ –5

क्र0स0	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत मानव दिवस	व्यय राशि				कार्य की स्थिति
				श्रम		सामग्री	योग	पूर्ण / अपूर्ण
				नकद	गेहूं			

माह के दौरान सृजित रोजगार के श्रम दिवस						
अकुशल श्रमिक			कुशल श्रमिक			माह मे नियोजित कुल अकुशल श्रमिकों की संख्या
महिला	पुरूष	योग	अनु0जनजाति	अन्य	योग	

कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या	अब तक रोजगार हेतु आवेदन किये गये परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या		
		100 दिवस एव अधिक	50 से 99 दिवस तक	50 से कम दिवस

नोट :– पंजीकृत समस्त व्यक्तियों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध न होने का कारण यदि कोई तो इंगित करें।

(प्रगति रिपोर्ट प्रत्येंक माह की तीन तारीख तक पंचायत समिति को प्रेषित करें

परिशिष्ठ –6

कार्यालय पचायत समिति – – – – – – – –

विशेष रोजगार योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट

माह – – – – – – – – वर्ष – – – – – – – – – –

क0स0	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत मानव दिवस	व्यय राशि				कार्य की स्थिति
				श्रम		सामग्री	योग	पूर्ण / अपूर्ण
				नकद	गेहूं			

माह के दौरान सृजित रोजगार के श्रम दिवस						
अकुशल श्रमिक			कुशल श्रमिक			माह मे नियोजित कुल अकुशल श्रमिकों की संख्या
महिला	पुरूष	योग	अनु0जनजाति	अन्य	योग	

कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या	अब तक रोजगार हेतु आवेदन किये गये परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या		
		100 दिवस एव अधिक	50 से 99 दिवस तक	50 से कम दिवस

विकास अधिकारी
पंचायत समिति

नोट :– पंजीकृत समस्त व्यक्तियों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध न होने का कारण यदि कोई तो इंगित करें।
(प्रगति रिपोर्ट प्रत्येंक माह की पांच तारीख तक जिला परिषद को प्रेषित करें

कार्यालय जिला परिषद – – – – – – –

विशेष रोजगार योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट

माह – – – – – – – वर्ष – – – – – – – – –

क्र0स0	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत मानव दिवस	व्यय राशि				कार्य की स्थिति
				श्रम		सामग्री	योग	पूर्ण / अपूर्ण
				नकद	गेहूं			

माह के दौरान सृजित रोजगार के श्रम दिवस						
अकुशल श्रमिक			कुशल श्रमिक			माह मे नियोजित कुल अकुशल श्रमिकों की संख्या
महिला	पुरूष	योग	अनु0जनजाति	अन्य	योग	

कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या	अब तक रोजगार हेतु आवेदन किये गये परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या		
		100 दिवस एव अधिक	50 से 99 दिवस तक	50 से कम दिवस

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – – – –

नोट :– पंजीकृत समस्त व्यक्तियों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध न होने का कारण यदि कोई तो इंगित करें।
(प्रगति रिपोर्ट प्रत्येंक माह की 10 तारीख तक ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करें